

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/ROAD/45735/2020

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गण्डी—मोल्टा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 24.03.2021
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के कुल 232 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें बाँज प्रजाति के 9 वृक्ष भी प्रभावित होंगे।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	परियोजना विकास कार्यों से सम्बन्धित है। जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 26.03.2021

स्थान पोड़ी

हस्ताक्षर.....

नाम (एन0एन0पाण्डेय)

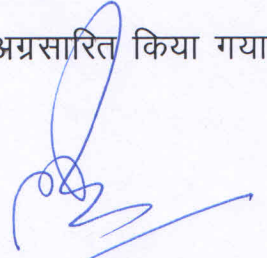
वन संरक्षक

गढ़वाल वृक्ष उत्तराखण्ड

पोड़ी

दिनांक 24.03.2021 को जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई-मोल्टा मोटर मार्ग निर्माण की निरीक्षण टिप्पणी।

उपरोक्त मोटर मार्ग का दिनांक 24.03.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय वन विभाग के अधीनस्थ स्टाफ तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रस्तावित मार्ग विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई-मोल्टा हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसमें कुल 232 वृक्षों में से 9 बॉज के वृक्ष प्रभावित होंगे। प्रस्तावित संरक्षण में वृक्ष पातन न्यूनतम है तथा वैकल्पिक संरक्षण से अधिक उपयुक्त है। प्रस्ताव संस्तुति के साथ अग्रसारित किया गया।



(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।